

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 359/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 21.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना जीयनपुर:- किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 07.03.2024 को वादी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री जो दिनांक 04.03.2024 को परीक्षा देने गयी थी लेकिन परीक्षा देकर वापस घर नहीं आयी जिसके आधार पर मु0अ0स 087/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान के आधार पर अभियुक्त बालकिशन अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार निवासी इटवाँ थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश का नाम प्रकाश मे आया तथा धारा 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 21.11.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बालकिशन अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार निवासी इटवाँ थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र करीब 39 वर्ष को कस्बा जीयनपुर बस स्टैंड के पास से समय करीब 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 363 बढ़ोतरी धारा 376 व 4(2)पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जाफर खान मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़।

